



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2015—भाद्र 12, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्र. एफ-3-85-2009-बत्तीस.—एतद्वारा, सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत खुरई निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना, 2021 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-19 उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 3 सितम्बर 2015 को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा—

- (1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग कक्ष क्रमांक-302 बी, तृतीय तल, मंत्रालय, भोपाल.
- (2) कलेक्टर, सागर, मध्यप्रदेश.
- (3) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सागर.
- (4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, खुरई.

2. उपांतरण का विवरण:—

1. मध्यप्रदेश सड़क विकास नियम द्वारा पूर्व से दक्षिण होते हुये पश्चिम तक विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग के लिये अन्य रेखांकन के आधार पर भू-अर्जन किया जा चुका है। अतः उक्त भू-अर्जन के रेखांकन के आधार पर विकास योजना में प्रस्तावित बायपास मार्ग का रेखांकन परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। नये रेखांकन अनुसार मार्ग से प्रभावित होने वाले ग्राम एवं खसरों की सूची उपांतरण में सम्मिलित है। मार्ग के रेखांकन के प्रस्तावित परिवर्तन के कारण अन्य नगरीय उपयोगों में होने वाले आंशिक परिवर्तनों को भी उपांतरण में सम्मिलित किया गया है। सूची उपांतरण में संलग्न है।

2. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के कारण विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरण निम्नानुसार हैं :—

विकास योजना की पुस्तिका की कंडिका 4.17, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.4 सारणी 6-सा-2 की विभिन्न टीपें, 6.4.1, 6.4.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.7.2, 6.7.3, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 की सारणी 6-सा-15, वाणिज्यिक सारणी, 6-सा-15 औद्योगिक, 6.12.1, 6.13, 6.16 अध्याय-7 की कंडिका 7.1, 7.3, प्रस्तावित किया है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

3. उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अबर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, कक्ष क्रमांक 302-बी, तृतीय तल, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, उपसचिव।